



माननीय न्यायालय समआदरणीय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

केम्प उज्जैन म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 16 निगरानी

तिग - 1287 II - 16

*माननीय न्यायालय  
ग्वालियर  
म0प्र0 / अप्रैल 2015  
13/4/15*

*39  
मा०प्र०*

1. श्रीमती रामकन्याबाई पति रामसुख धाकड़,
2. धरमचन्द पिता रामसुख धाकड़
3. मंगलेश पिता रामसुख धाकड़
4. श्रीमती गुडडीबाई पुत्री रामसुख धाकड़
5. ललिताबाई पुत्री रामसुख धाकड़
6. तुलसीबाई पुत्री रामसुख धाकड़
7. संगीताबाई पुत्री रामसुख धाकड़

निवासी ग्राम फतेहगढ़ तहसील दलौदा जिला  
मंदसौर म0प्र0 .....आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. गोवर्धन पिता पन्नालाल धाकड़ नि.फतेहगढ़
2. बापू पिता पन्नालाल निवासी फतेहगढ़
3. मुन्नीबाई पति पन्नालाल निवासी फतेहगढ़
4. जानीबाई पिता पन्नालाल निवासी नगरी
5. लीलाबाई पिता पन्नालाल निवासी नहारगढ़

.....अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मंदसौर  
म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 41 / अप्रैल / 2012-2013 में पारित  
आदेश दिनांक 09 / 12 / 2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर  
उक्त निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत है

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, ग्राम फतेहगढ़ में स्थित भमि के मांडंग में गोत्थर्ज निवा-

साली २०१९-२०२० | जून

XXIX(a) BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक - R 1287/ग्म/16

जिला - भंडार

GD

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों<br>आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 31.07.19         | <p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविधान ग्रन्थि</p> <p>भंडार के प्रकरण क्रमांक ५.।।३४८।।१२-१३ में पारित आदेश दिनांक ९.।।१२-१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलाम २८ भंडार को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक १५.।।१९-१९ को कलाम २८ भंडार के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>कलाम २८ भंडार</p> |   |

(महेश चन्द्र चौधरी)  
सदस्य